

IN THE COURT OF Shailendra Chauhan
1st DISTRICT AND ADD. SESSION JUDGE/SPECIAL JUDGE JANJIR
Case No.: SESSIONS CASE / 104 / 2022 CNR Number: CGJC010026612022
State of Chhattisgarh Vs Laxmi Prasad Kashyap
Rajesh Kumar Pandey Advocate /

Todays Date	Roznama	Next/Disposal Date
16-09-2025	पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण प्रकरण मेरे समक्ष पेश । राज्य की ओर से श्री संदीप बनाफर, लोक अभियोजक उपस्थित । आरोपीगण सहित श्री कमलेश सिंह, अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है । अभियोजन साक्षी राजा यादव एवं रविन्द्र यादव के विरुद्ध जारी समंस तामिल अदम तामिल वापस प्राप्त नहीं । अतः अभियोजन साक्षी राजा यादव एवं रविन्द्र यादव के विरुद्ध पुनः समंस जारी कर आहूत किया जावे । प्रकरण पूर्ववत अभियोजन साक्ष्य हेतु 17.09.2025 sd/- (शैलेन्द्र चौहान) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर जिला जांजगीर -चांपा (छ.ग.)	17-09-2025
